MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION, LTD
(GOVT OF M.P. UNDERTAKING)
CIN: U45203MP2004SGC016758
Darbar Singh Gohel, Silver Hills Colony, Opp Maharana Pratap Statue
Indore Road, Dhar (MP) 454001 Tel 07292-297062 Email : dmindore2@gmail.com

क्रमांक 2852 / मप्रसविनिलि / एडीबी–06 / वनभूमि / 2022 धार, दिनांक 24 / 03 / 2022

प्रति,

प्रधान वन संरक्षक,
वन विभाग (भूमि प्रबंधन)
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषयः– एडीबी–6 के अंतर्गत जिला अलीराजपुर में निर्माणाधीन मार्गो के निर्माण में उपयोग की जा रही वन भूमि के बदले वन विभाग को आवंटित की गई समतुल्य राजस्व भूमि के संबंध में।

––––000––––

उपरोक्त विषय में लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग इंदौर–2, धार के अंतर्गत एडीबी–06 योजना के अंतर्गत जिला अलीराजपुर में मार्गो का निर्माण में वन भूमि पर कार्य करने हेतु वन विभाग को वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) आवंटित की गई हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

सं. क्रं.	मार्ग का नाम	वनक्षेत्र में मार्ग की लंबाई (कि.मी. में)	प्रभावित हो रही वनभूमि का क्षेत्रफल (हैक्टे. में)	जिले का नाम जहां की राजस्व भूमि आवंटित की गई हैं।	समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित (हैक्टे. में)	रिमार्क
1	अलीराजपुर–मथवाड़ मार्ग	3.935	5.903	अलीराजपुर	25.773	1. कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रं. 522 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा पटवारी हल्का न. 13 ग्राम दित्या का फलिया में स्थित खसरा नं. 01 में 3.760 हैक्टे. आवंटित हैं। 2. कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रं. 521 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा पटवारी हल्का न. 13 ग्राम बड़ाखुटाजा में स्थित खसरा नं. 2057 में 21.013 हैक्टे. आवंटित हैं। 3. कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रं. 869 दिनांक 19.11.2021 के द्वारा पटवारी हल्का न. 13 ग्राम दित्या का फलिया में स्थित खसरा नं. 01 में 1.00 हैक्टे. आवंटित हैं। **कुल भूमि = 25.773 हैक्टे. आवंटित हैं।**
2	जोबट–नानपुर मार्ग	0.930	1.395			
3	भाभरा–कट्ठीवाड़ा–खेड़ा मार्ग	12.120	18.330			
	योग		**25.628**		**25.773**	

चाही गई जानकारी आपकी ओर अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(श्याम कुमार गुप्ता)
संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम लि.
इन्दौर–2, धार (म.प्र.)

::कार्यालय कलेक्टर,जिला अलीराजपुर (म.प्र)::

प्रकरण कमांक–0002 / अ–20(1) / 2021–2022

:: आदेश ::

आवेदित संस्था संभागीय प्रबंधक,मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर–2 धार के पत्र कमांक / 2435 / एडीबी / म.प्र.स.वि.नि.लि. / 2021 अलीराजपुर दिनांक 29.01.2021 के द्वारा भाभरा–कठठीवाडा–खेडा,जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर –मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम दित्या का फलिया मे स्थित खसरा नम्बर–1 कुल रकबा–8.400 हेक्टेयर मद ना0का0का0 मे से पैकी रकबा–1.903 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित / हस्तांतरित करने की मांग की गई है।

प्रकरण पंजीबद्व कर विधिवत जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर को भेजा गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर से जांच एवं परीक्षण उपरांत अनुशंसा सहित प्राप्त।

तहसीलदार,तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा भाभरा–कठठीवाडा–खेडा , जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम दित्या का फलिया मे स्थित खसरा नम्बर–1 कुल रकबा–8.400 हेक्टेयर मद ना0का0का0 मे से पैकी रकबा–1.903 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा–3.7600 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित / हस्तांतरित किये जाने की विज्ञप्ति जारी की गई।विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर आवेदित संस्था को भूमि आवंटन / हस्तांतरण करने हेतु आपत्ति आमंत्रित की गई,नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा तहसीलदार चन्द्रशेखर आजाद नगर के जांच एवं परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर भाभरा–कठठीवाडा–खेडा,जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के ग्राम दित्या का फलिया मे स्थित खसरा नम्बर–1 कुल रकबा–8.400 हेक्टेयर मद ना0का0का0 मे से पैकी रकबा–1.903 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा–3.7600 हेक्टेयर वन विभाग को आवंटित / हस्तांतरित करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन दिया है।

प्रकरण मे अधीक्षक भू–अभिलेख जिला अलीराजपुर से मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 24 सितम्बर–2020 से मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 के तहत जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत भू–राजस्व के निर्धारण के सबंध में आवश्यक जांच एवं परीक्षण कर प्रतिवेदन लिया गया। अधीक्षक

भू–अभिलेख द्वारा प्रतिवेदित किया है,कि भाभरा–कठठीवाडा–खेडा–जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने से समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आबंटित/हस्तांतरित किये जाने हेतु तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के पटवारी हल्का नम्बर–13 ग्राम दित्या का फलिया मे स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर–1 कुल रकबा–8.4000 हेक्टेयर मद ना0का0का0 मे से रकबा–3.7600 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/हस्तांतरण नियमानुसार बिना प्रब्याजी तथा नाममात्र का पंजीकृत मूल्य 25 रूपये लेकर किये जाने का अभिमत दिया।

प्रकरण मे जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति के सदस्यों से भाभरा–कठठीवाडा–खेडा–जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने से समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने संबंधी अनुमोदन किया गया है।

अतएव तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर के जांच एवं परीक्षण प्रतिवेदन तथा अधीक्षक भू–अभिलेख जिला अलीराजपुर के प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020के प्रावधानों के तहत भाभरा–कठठीवाडा –खेडा,जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के पटवारी हल्का नम्बर–13 ग्राम दित्या का फलिया मे स्थित खसरा नम्बर–1 कुल रकबा–8.4000 हेक्टेयर मद ना0का0का0 मे से पैकी रकबा–3.7600हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न शर्तों के अधीन भूमि हस्तांतरण किया जाता है:–

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य/भू–भाटक आदि के संबंध मे कोई आदेश/निर्देश दिये जाते है,या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती है,तो उन्हे मानने के लिये आवेदक/विभाग बाध्य होगा।

2– हस्तांतरित भूमि का उपयोग विभाग द्वारा प्रदर्शित प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा,जिस प्रयोजन के लिये भूमि हस्तांतरित की गई है, अन्यथा भूमि अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

3– किसी व्यक्ति विशेष या अन्य किसी विभाग को यह भूमि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बिना हस्तांरित नही की जावेगी।

4– भूमि हस्तांतरण आदेश के एक वर्ष के भीतर जिस प्रयोजन के लिये भूमि की मांग की गई है,उस प्रयोजन में उपयोग किया जाना अनिवार्य है। यदि समयावधि में भूमि का उपयोग नही किया गया तो भूमि का हस्तांतरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

5– आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर भूमि का सीमांकन संबंधित तहसीलदार से करवाया जाकर बाउड्रीवॉल कर कब्जा रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर,
जिला अलीराजपुर

पृ0क्रमांक / 522 / रीडर / 2021 अलीराजपुर, दिनांक 22 / 07 / 2021

प्रतिलिपिः—(आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ)

1— प्रमुख राजस्व आयुक्त,मध्यप्रदेश शासन,भोपाल।

2— प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग,मंत्रालय,भोपाल।

3— आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।

4— अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी (मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश—2020) जिला अलीराजपुर

5— संभागीय प्रबंधक,मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर—2 धार ।

6— वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल अलीराजपुर ।

7— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर।

8— तहसीलदार तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर की ओर आदेशानुसार भूमि का रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु।

9— अधीक्षक,भू—अभिलेख जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला अलीराजपुर

::कार्यालय कलेक्टर,जिला अलीराजपुर (म.प्र)::

प्रकरण कमांक–0001/अ–20(1)/2021–2022

:: आदेश ::

आवेदित संस्था संभागीय प्रबंधक,मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर–2 धार के पत्र कमांक/2435/एडीबी/म.प्र.स.वि.नि.लि./2021 अलीराजपुर दिनांक 29.01.2021 के द्वारा भाभरा–कठठीवाडा–खेडा,जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर –मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम बडा खुटाजा मे स्थित खसरा नम्बर–2057कुल रकबा–22.870हेक्टेयर मद ना0का0का0 की भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित/हस्तांतरित करने की मांग की गई है।

प्रकरण पंजीबद्व कर विधिवत जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर को भेजा गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर से जांच एवं परीक्षण उपरांत अनुशंसा सहित प्राप्त।

तहसीलदार,तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा भाभरा–कठठीवाडा–खेडा, जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम बडा खुटाजा मे स्थित खसरा नम्बर–2057 कुल रकबा–22.870 हेक्टेयर मद चरनोई मे से पैकी रकबा–21.04 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित/हस्तांतरित किये जाने की विज्ञप्ति जारी की गई।विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर आवेदित संस्था को भूमि आवंटन/हस्तांतरण करने हेतु आपत्ति आमंत्रित की गई,नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा तहसीलदार चन्द्रशेखर आजाद नगर के जांच एवं परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर भाभरा–कठठीवाडा–खेडा,जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के ग्राम बडा खुटाजा मे स्थित खसरा नम्बर–2057 कुल रकबा–22.870 हेक्टेयर मद चरनोई मे से पैकी रकबा–21.04 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित/हस्तांतरित करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन दिया है।

प्रकरण मे अधीक्षक भू–अभिलेख जिला अलीराजपुर से मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 24 सितम्बर–2020 से मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 के तहत जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत भू–राजस्व के निर्धारण के सबंध में आवश्यक जांच एवं परीक्षण कर प्रतिवेदन लिया गया। अधीक्षक

भू–अभिलेख द्वारा प्रतिवेदित किया है,कि भाभरा–कठठीवाडा–खेडा–जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने से समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आबंटित/हस्तांतरित किये जाने हेतु तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के पटवारी हल्का नम्बर–05 ग्राम बडा खुटाजा मे स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर–2057 कुल रकबा–22.8700 हेक्टेयर मद चरनोई मे से रकबा–21.0130 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/हस्तांतरण नियमानुसार बिना प्रब्याजी तथा नाममात्र का पंजीकृत मूल्य 25 रूपये लेकर किये जाने का अभिमत दिया।

प्रकरण मे जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति के सदस्यों से भाभरा–कठठीवाडा–खेडा–जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने से समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने संबंधी अनुमोदन किया गया है।

अतएव तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर के जांच एवं परीक्षण प्रतिवेदन तथा अधीक्षक भू–अभिलेख जिला अलीराजपुर के प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 के प्रावधानों के तहत भाभरा–कठठीवाडा–खेडा,जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एंव चौडीकरण कार्य मे कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के पटवारी हल्का नम्बर–13 ग्राम बडा खुटाजा मे स्थित खसरा नम्बर–2057 कुल रकबा–22.8700 हेक्टेयर मद चरनोई मे से पैकी रकबा–21.0130 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न शर्तों के अधीन भूमि हस्तांतरण किया जाता है:–

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य/भू–भाटक आदि के संबंध मे कोई आदेश/निर्देश दिये जाते है,या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती है,तो उन्हे मानने के लिये आवेदक/विभाग बाध्य होगा।

2– हस्तांतरित भूमि का उपयोग विभाग द्वारा प्रदर्शित प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा, जिस प्रयोजन के लिये भूमि हस्तांतरित की गई है,अन्यथा भूमि अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

3– किसी व्यक्ति विशेष या अन्य किसी विभाग को यह भूमि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बिना हस्तांरित नही की जावेगी।

4– भूमि हस्तांतरण आदेश के एक वर्ष के भीतर जिस प्रयोजन के लिये भूमि की मांग की गई है,उस प्रयोजन में उपयोग किया जाना अनिवार्य है। यदि समयावधि में भूमि का उपयोग नही किया गया तो भूमि का हस्तांतरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

5– आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर भूमि का सीमांकन संबंधित तहसीलदार से करवाया जाकर बाउड्रीवॉल कर कब्जा रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर,
जिला अलीराजपुर

पृ0क्रमांक / 521 / रीडर / 2021

अलीराजपुर, दिनांक 22/ 07 / 2021

प्रतिलिपिः—(आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ)

1— प्रमुख राजस्व आयुक्त,मध्यप्रदेश शासन,भोपाल।

2— प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग,मंत्रालय,भोपाल।

3— आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।

4— अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी (मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश—2020) जिला अलीराजपुर

5— संभागीय प्रबंधक,मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर—2 धार ।

6— वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल अलीराजपुर ।

7— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर।

7— तहसीलदार तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर की ओर आदेशानुसार भूमि का रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु।

8— अधीक्षक,भू—अभिलेख जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला अलीराजपुर